

(351)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक एफ.3(36)नविवि/3/2012

जयपुर दिनांक

19 MAR 2013

राजिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।

आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर।

निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर।

समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।

समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।

अध्यक्ष/राजिव, समस्त नगर विकास न्याया, राजस्थान।

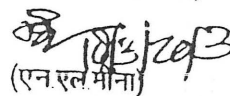
राजिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

मुख्य नगर नियोजक राजस्थान, जयपुर।

विषय:- नीलामी द्वारा क्रय किये गये भूखण्डों पर निर्माण की समयावधि निर्धारित करने बाबत।
महोदय,

विभागीय पत्र क्रमांक एफ.9(63)नविआ/3/81 जयपुर दिनांक 30.10.96 को एतद् द्वारा प्रत्याहरित किया जाता है। विभागीय अधिसूचना दिनांक 23.03.91 द्वारा राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 14(ए) में यह प्रावधान किया गया है कि नीलामी द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों पर अनुज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 वर्ष में निर्माण नहीं करने पर विक्रय राशि की 5 प्रतिशत की दर से राशि वसूल की जाकर निर्माण अवधि बढ़ाई जा सकती है। इस संबंध में याचिका संख्या 2326/1991 में निर्णय दिनांक 01.09.1993 के अनुसार अधिसूचना दिनांक 23.03.1991 जिसके द्वारा 1974 के नियम 14 (2) में नीलामी द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों में निर्माण की अवधि लागू की गयी है। यह भविष्यतः प्रभाव से ही लागू होने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। अतः नियम 14 (ए) के प्रावधान लागू होने के दिनांक से ही निर्माण समयावधि में नहीं करना पर शारती राशि देय होगी, इससे पूर्व के विक्रय से क्रय किये गये भूखण्डों पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(एन.रत्न मेना)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

(100)

प्रांतेतिषि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव- द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. शासन उप सचिव-प्रथम, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
8. निदेशक, स्थानीय विकास विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि मुक्तानुसार शहरों संबंधित को जंगल कराने का श्रम करे।
9. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
10. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
11. संमस्त अध्यक्ष/सचिव, नगर विकास न्यास, राजस्थान।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय